न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

दायर दिनांक– 18.1.2016

प्रकरण संख्या– 3/2016

निर्णय दिनांक– 20.3.18

1– दाउद भाई पिता श्री मोहम्मद हुसैन खुमानपुरवाला बोहरा निवासी सागवाडा
(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री कल्पेश रावल
वकील प्रतिवादी – पैरोकार सरकार

दावा बाबत घोषीत करने खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अन्तर्गत धारा 88 ,188,209 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी सागवाडा का निवासी होकर गरीब बोहरा समुदाय का भूमिहिन व्यक्ति है , वादी का पटवारी हल्का सागवाडा की जमाबन्दी खतोनी संवत 2069–2072 का खाता नम्बर 1/1 के खसरा नम्बर 5801/1 रकबा तीन बीघा तीन बिस्वा भूमि में से दो बीघा 10 बीस्वा की भूमि पर करीब 40 वर्ष से अपने पिता के समय से लगातार बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है ।

यह कि वादी द्वारा करीब 40 साल से अब तक लगातार कब्जा होने से वादी ने अपने कब्जे शुदा जमीन पर अपने निजी खर्चे से समतलीकरण कर कृषि योग्य भूमि बनाकर कृषि का कार्य कर उक्त कब्जे शूदा जमीन पर 40 साल से लगातार कब्जे के साथ बेरोकटोक काश्त कर रहा है । यह कि खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मस्तकील की प्रमाणित नकल प्रपत्र पी014 संवत 2053 से आज तक पटवार क्षेत्र सागवाडा में वादी का नाम काश्तकार के रूप में लगातार स्वामित्व एवं कब्जा स्थित होकर कृषक के रूप में दर्ज रेकार्ड है तथा इसके पूर्व से भी उक्त भूमि पर वादी का लगभग 40 साल से कब्जा चला आ रहा है । यह कि वादी अपने कृषि कार्य में ओर अधिक विस्तार करने के लिए बैंक में उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त करने गया तब पता चला कि उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है । वादी ने वाद के अन्त में मोजा सागवाडा के खाता संख्या 1/1 के खसरा संख्या 5108/1 रकबा तीन बीघा 3 बिस्वा भूमि पर वादी का दो बीघा10 बिस्वा भूमि पर 40 सालों से बेरोकटोक

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

कब्जा काश्त चला आ रहा होने से वादी को खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी के द्वारा वाद समर्थन में शपथपत्र एंव जमाबन्दी की नकल तथा पी.14 की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया जाने पर प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में मौजा सागवाडा का आराजी नम्बर 5108/1 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा भूमि किस्म मगरी होकर बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना , आराजी नम्बर 5108/1 रकबा 3 बीघा 03 बीस्वा भूमि में से 2.10 बीघा भूमि पर मौके पर दाउदभाई पिता मोहम्मदहुसैन खुमानपुर वाला बोहर का अतिक्रमण होकर मौके पर काबिज होना ,मोके पर अतिक्रमित भूमि के चारों तरफ परकोटा बना हुआ होना ,उक्त अतिक्रमित भूमि से सटकर आराजी की भूमि पूर्व में वादी के स्वंय की खातेदारी भूमि थी जो वर्तमान में आवासीय होना ,वादी द्वारा अतिक्रमित भूमि पर निजी व्यय कर भूमि के चारों ओर परकोटा बनाया जाकर समतल कर भूमि को कृषि योग्य बनाना ,मोके पर उक्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं होना ,उक्त भूमि में से कोई नदी अथवा नाला या किसी प्रकार का रास्ता प्रभावित नहीं होना एवं वादी द्वारा प्रस्तुत पी014 की प्रतिलिपि अनुसार वर्ष 1996,1998,एंव 2000 में अतिक्रमण दर्ज होना बताते हुए रिपोर्ट पटवारी,नक्शा ट्रैस,एवं पी14 की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है।

प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए –

तनकी संख्या 1 –आया मोजा सागवाडा के खाता नं01/1 के खसरा नं05108/1 किस्म मगरी बिलानाम पर वादी का 2.10बीघा भूमि पर करीब 40 साल पूर्व से कब्जा चला आ रहा है ? (वादी)

तनकी संख्या 2 – आया वादी द्वारा अपने निजी खर्चे से समतलीकरण कर भूमि को कृषि योग्य बनाकर 40 साल से काश्त कर रहा है ?(वादी)

तनकी संख्या 3– आया वादी का वादग्रस्त आराजी पर 40 साल से कब्जा काश्त चला आ रहा होने से वादी खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है?(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई । वादी द्वारा साक्ष्य में वादी स्वयं दाउद एवं गवाह धीरज के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किए गये गवाह वादी स्वयं ने अपने बयान में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए आराजी नम्बर 5108/1 पर लगातार स्वामित्व एंव कब्जा स्थित होकर कृषक के रूप में दर्ज रेकार्ड होना तथा इसके पूर्व से भी उक्त भूमि पर कब्जा चला आना बताते हुए दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2069–72 प्रदर्श –1 ,खसरा गिरदावरी संवत 2055 की नकल प्रदर्श–2 ,नक्शा ट्रैस प्रदर्श –3 प्रदर्श कराते हुए जिरह में पिता के समय से कब्जा निरन्तर होना ,इस भूमि पर काफी खर्चा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

कर समतलीकरण एवं कृषि योग्य बनाना बताते हुए इस आराजी में 2.10 बीघा भूमि पर निरन्तर कब्जा होकर काश्त के रूप में उपयोग करना बताया है । गवाह धीरज ने उसकी कृषि भूमि एवं वादी की भूमि पास में होना ,उक्त खसरे की 2.10बीघा भूमि पर करीब 40 वर्षों के पूर्व से वादी का कब्जा वादी के पिता के समय से लगातार चला आना ,वादी द्वारा उक्त खसरे में निजी खर्चे से समतलीकरण कर काश्त योग्य बनाना बताते हुए जिरह में अतिक्रमण वाली भूमि सरकारी होकर 40 वर्ष से वादी का अतिक्रमण चला आना बताया है ।

वादी की ओर से ओर गवाह प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य वादी समाप्त की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई । प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में गवाह देवेन्द्रसिंह पटवारी पटवार हल्का सागवाडा के बयान कराये गये । गवाह देवेन्द्रसिंह ने अपने बयान में सागवाडा में पटवारी के पद पर कार्यरत होना ,इससे पूर्व पटवार मण्डल चीतरी में होना तथा वादी दाउद को पहचानना बताते हुए वादी सागवाडा का निवासी होकर मोजा सागवाडा के आराजी नम्बर 5108/1 रकबा 3बीघा 3 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में मगरी बिलानाम दर्ज रेकार्ड होना , इस भूमि का स्वयं मौका देखना बताते हुए वादी दाउद का अतिक्रमण चारो ओर परकोटा बना होना ,वादी द्वारा निजी खर्चे से समतल कर काश्त योग्य बनाना तथा इस आराजी में वादी दाउद का 2बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है । गवाह देवेन्द्रसिंह पटवारी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि इस भूमि के पास में ही वादी की खातेदारी भूमि थी जो वर्तमान में आवासीय है ,इस अतिक्रमित भूमि के आराजी में वादी ने काश्त हेतु काम आने वाले कृषि यंत्रों को रखने हेतु एक कमरा भी निर्मित किया है ,वादी लगभग 30वर्ष से अधिक समय से इस आरजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है।मोके पर कोई विवाद नहीं है अथवा कोई नदी नाला अथवा रास्ता प्रभावित नहीं हो रहा है । मौके पर 2.10 बीघा पर परकोटा बनाया जाकर काश्त योग्य बनाया गया है ।

साक्ष्य समाप्ति पर पैरोकार सरकार ने तनकी संख्या 3 कानूनी होने से इस तनकी पर पहले बहस एवं निर्णय के लिए निवेदन किया गया । वकील वादी भी तनकी संख्या 3 पर बहस हेतु सहमत होने से वकील वादी एवं पैरोकार की तनकी संख्या 3 पर बहस सूनी गई।

तनकी संख्या 3 निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 3– आया वादी का वादग्रस्त आराजी पर 40 साल से कब्जा काश्त चला आ रहा होने से वादी खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है?(प्रतिवादी)

विद्वान वकील वादी ने अपनी बहस में वाद वर्णित तथ्यों एवं वादी स्वंय तथा वादी के गवाह के बयानों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का 40वर्ष से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होना ,स्वयं के खर्चे से परकोटा बनाना ,समतलीकरण कराना एवं कृषि यंत्रों को रखने हेतु कमरे का निर्माण करना बताते हुए वादी का खातेदार काश्तकार घोषित करने निवेदन किया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब प्रतिवादी एवं गवाह देवेन्द्रसिंह के बयानों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2069–72 की ओर आकर्षित करते हुए खातेदार के स्थान पर राज0सरकार बिलानाम पहाडिया एवं पर्वत तथा किस्म मगरी राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना बताते हुए वादग्रस्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन के लिए प्रतिबन्धित होना बताते हुए वाद वादी खारीज किया जाने निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया ।

हम पैरोकार की बहस से सहमत है कि वादग्रस्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन के लिए प्रतिबन्धित है । जिससे वादी खातेदार होने की घोषणा कराने का अधिकारी नही है।अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 कानूनी होकर वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है अतः अन्य तनकीयात के निर्णय की आवश्यकता नही है ।

चूँकि तनकी संख्या 3 के निर्णयानुसार वादी खातेदार होने की घोषणा कराने का अधिकारी नही है अतः वाद वादी खारीज किया है।

निर्णय आज दिनांक 28/3/18 को खूले न्यायालय में सूनाया गया।डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो , नंबर से कम हो ।

(गोपाललाल खर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा